FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

सरकार *बनाम* देवीशंकर वगै.

किस्म– रेफरेन्स 88 (2) मुकदमा नम्बर 17/14 तारीख रजू 17.06.14

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].03.19	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तहसीलदार खण्डार द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम बसिलसिले डी.बी. जनहित याचिका संख्या 1536/03 तारीख 02.08.04 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राज. राज्य के विरूद्व उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 11.10.07 को निर्णय पारित कर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अंतिम निर्णय हेतु अभिशंषा के साथ भिजवाया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.13 से प्रकरण इन निर्देशो के साथ लोटा दिया गया है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर वर्तमान जमाबंदी के अकंन मूलतः जिस किस्म परिवर्तन आदेश एवं आवंटन आदेश से सृजित हुये है, उक्त आदेशों की वैधानिकता का परीक्षण कर, यदि आवश्यक समझे तो अपनी स्पष्ट राय के साथ उक्त आदेशों के विरूद्व पुनः नवीनतम रेफरेन्स प्रस्तुत करे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 10.01.13 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। साथ ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय में दिये गये निर्देशों के संबंध में तहसीलदार खण्डार को लिखा गया। तहसीलदार खण्डार द्वारा पत्र का जवाब पत्र क्रमांक एल.आर. 15/249 दिनांक 10.4.15 द्वारा दिया जाकर अवगत कराया गया है कि किस्म परिवर्तन आदेश उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पत्र क्रमांक 2627 दिनांक 24.09.77 दिये है। किस्म परिवर्तन आदेश की प्रति उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से तलब की जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संपरिवर्तन आदेश के अभाव में वर्ष 2014 से लम्बित चल रहा है। अतः प्रकरण तहसीलदार खण्डार को लोटाया जाकर लेख है कि वर्तमान जमाबंदी के अकंन मूलतः जिस किस्म परिवर्तन आदेश एवं आवंटन आदेश से सृजित है की प्रमाणित प्रति के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजो सहित नवीनतम रेफरेन्स प्रस्तुत करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	